**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1120**

**19 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम**

**लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली बुलियन**

**पार्टियों के मामलों की जांच**

**1120. सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) के अंतर्गत आने वाली बुलियन पार्टियों की अनियमितताओं या कदाचार से संबंधित कुछ मामलों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बुलियन पार्टियों के नाम क्या हैं और उक्त मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उन बुलियन पार्टियों को किए जाने वाले भुगतान पर रोक लगाने के लिए एचएचईसी को निर्देश दिया है, जिनके विरुद्ध संदिग्ध लेनदेन के कभी कोई आरोप नहीं लगे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या एचएचईसी ने ऐसी पार्टियों को किए जाने वाले भुगतान को जारी करने के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगें हैं और यदि हां, इस संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एचएचईसी को क्या जवाब दिया है?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क) से (घ):** केंद्रीय जांच ब्‍यूरो मैसर्स एडलवीस कमोडिटीज लि. (ईसीएल) तथा आर्यावर्त कमोडिटीज प्रा. लि. (एसीपीएल) के बुलियन आयात संबंधी मामले की जांच कर रहा है। सीबीआई ने क्रेताओं के ऋण का लाभ उठाने के संबंध में भारतीय हस्‍तशिल्‍प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि. (एचएचईसी) से जानकारी मांगी है तथा इसकी जांच की है। एचएचईसी द्वारा जिन बुलियन पार्टियों का भुगतान रोका गया है उन्‍होंने उस करार के अनुसार आयात की प्रक्रिया का पालन किया है जो ईसीएल तथा एचएचईसी के मध्‍य हस्‍ताक्षरित करार के अनुरूप है और इस समझौते की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।

**(ङ):** जी, हां। एचएचईसी ने मैसर्स एडलवीस कमोडिटीज प्रा. लि. (ईसीएल) को छोड़कर अन्‍य बुलियन पार्टियों के रोके गए भुगतान के संबंध में सीबीआई की प्रतिक्रिया मांगी है। परंतु सीबीआई से अ‍भी तक कोई उत्‍तर प्राप्‍त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*